



अधिकतम 36.3 डिग्री
न्यूनतम 15.3 डिग्री

जीटी रोड मूमि हरिभूमि

रोहताक, शुक्रवार, 3 मई 2024

12 सरकारी डिपो से राशन लेने वाले परिवारों की नए सिरे से होगी केवाईसी

12 शिक्षा के महत्व को समझे हर मजदूर



खबर संक्षेप

धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

अंबाला। थाना सैक्टर-9 अंबाला शहर में दर्ज मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी श्याम लाल को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला ने 26 अप्रैल 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी श्याम लाल ने उसका रास्ता रोककर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

शांति भंग करने वाले चार आरोपी काबू

अंबाला। थाना मुलाना क्षेत्र से सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब पीने व आम नागरिकों की शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी रजत, विरेंद्र कुमार, हिमांशु व लाभ सिंह को काबू किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। इसकी वजह से आम नागरिकों की शांति भंग हो रही है। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।

पानीपत में गानीण से 82 हजार की ठगी

पानीपत। पानीपत के गांव ददलाना निवासी जोगिंद्र, ठगों का शिकार हो गया। ठग ने जोगिंद्र को टास्क पूरा करने पर ज्यादा मुनाफा होने का प्रलोभन दिया। इसके बाद उससे खाते में कई बार में 82 हजार 800 रुपये ले लिए। जब उसने रुपए निकलवाने चाहे, तो खाता फौज हो गया। जिसके बाद उसे ठगी का पता लगा। वही, जोगिंद्र की शिकायत पर थाना साइबर ने अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बैंक खाते से 50 हजार रुपये निकाले

पानीपत। समालखा के आजाद नगर निवासी प्रवीण के साथ एक निजी बैंक के एटीएम बूथ पर अज्ञात व्यक्ति ने उगी कर ली। अनजान व्यक्ति ने प्रवीण को मदद का झांसा देकर डेबिट कार्ड बदल लिया। बाद में उसने 50 हजार रुपये निकाल लिए। प्रवीण की शिकायत पर थाना समालखा पुलिस अज्ञात ठग के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आर्य स्कूल के विद्यार्थियों का एनसीसी में चयन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ पानीपत

आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज एनसीसी 12 हरियाणा बटालियन की ओर से एन सी सी कैडेट्स का चयन करने हेतु एनसीसी अधिकांश व टेकराम विद्यालय पहुंचे। प्राचार्य



आर्य स्कूल में एनसीसी के लिए विद्यार्थियों का चयन करते हुए सैन्य कर्मी।

मनीष घनगस ने उनका स्वागत किया। एनसीसी में भाग लेने हेतु कक्षा आठवीं व नौवीं के 120 छात्रों ने आवेदन किया। जिसमें से 50 छात्रों व छात्राओं का चयन किया गया। प्राचार्य मनीष घनगस ने

बताया कि विद्यालय में एनसीसी एनएसएस, भारत स्काउट एण्ड गाइड तथा हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाइड हैं। आजकल के बच्चों को देशभक्त और अनुशासित बनाने के लिए सेना, नौ सेना तथा एयर विंग द्वारा सभी स्कूलों में एनसीसी, एनएसएस, हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाइड तथा भारत स्काउट एण्ड गाइड का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर प्रवीण वर्मा, हिमांशी, सोनु वर्मा, संजय, गौरव व प्रमोद चौपड़ा मौजूद रहे।

समस्या

सप्लाई ठेकेदार समय पर न तो राशन पहुंचा रहे हैं और न पूरा वजन दे रहे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ राठौर

जिला डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल डीएफएससी से मिले। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित मांगपत्र डीएफएससी से सौंपकर उनकी मांगे जल्द पूरी किए जाने की मांग की। डीएफएससी अशोक शर्मा ने डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों को जल्द पूरा करवाए जाने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रधान सुशील मित्तल के नेतृत्व में डीएफएससी कार्यालय में पहुंचा। इस दौरान उन्होंने डीएफएससी अशोक शर्मा को सौंपे अपने मांगपत्र में कहा कि विभाग की ओर से डिपुओं पर राशन



यमुनानगर में डीएफएससी से मिलते हुए जिला डिपो होल्डर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। फोटो: हरिभूमि

समय पर नहीं पहुंच रहा है। जबकि विभाग द्वारा सप्लाई ठेकेदारों को हर महीने की 20 तारीख तक राशन पहुंचाने का आदेश जारी किया हुआ है। मगर सप्लाई ठेकेदार समय पर ना तो राशन पहुंचा रहे हैं और ना ही राशन का पूरा वजन दे रहे हैं। राशन डिपुओं पर राशन का वजन भी कम आ रहा है। उन्होंने कहा कि सप्लाई ठेकेदार उन्हें राशन पहुंचाने की सूचना भी पहले नहीं देते हैं और राशन डिपुओं पर उनकी जांच किए बिना ही राशन को उतार कर चले जाते हैं। जब वह राशन को तोलते हैं तो उसका वजन कम मिलता है। उन्होंने डीएफएससी से सप्लाई

कमीशन हर महीने देने की मांग

इसके साथ ही एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने डीएफएससी को बताया कि इस बार अप्रैल माह का राशन 29 व 30 अप्रैल को डिपुओं पर पहुंचा है। उन्होंने उस राशन को वितरित करने के लिए दस मई तक का समय दिए जाने की मांग की। एसोसिएशन के प्रधान सुशील मित्तल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डिपो धारकों को केवाईसी के लिए आदेश जारी किए हुए हैं। लेकिन अधिकांश कार्ड धारक केवाईसी करवाने के लिए न तो डिपो पर पहुंचते हैं और ना ही केवाईसी करवाते हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन डिपो धारकों के पास दूसरे राशन डिपो को अटैचमेंट है उन डिपुओं की मशीनों में उस डिपोधारक की मशीनी होनी चाहिए। जिससे वह राशन सही समय पर वितरित कर सके। सभी डिपो धारकों की मांग है कि राशन डिपो धारकों का कमीशन हर महीने उन्हें मिलना चाहिए। इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल द्वारा की गई थी। लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हुआ। ठेकेदार जिस सेंटर पर राशन डालता है उस सेंटर को पूरा राशन दिए जाने के बाद ही दूसरे सेंटर पर सप्लाई दी जानी चाहिए। इस अवसर पर विनोद राणा, हंसराज, गजेंद्र राणा, अमनदीप, हरिंद अरोड़ा, डीपी सिंगला, रिंकू, सुमन शर्मा व अश्वनी आदि मौजूद रहे। ठेकेदारों को राशन डिपो होल्डर्स को राशन सप्लाई करने से एक दिन पहले सूचना दिए जाने की मांग की। ताकि वह मौके पर पहुंचकर राशन

आईओसीएल कर्मी की नकदी चोरी

पानीपत। पानीपत में पुराना बस स्टैंड के नजदीक पानीपत रिफाइनी के कर्मचारी चेतन्या आनंद निवासी एल्टिको का बैग चोरी हो गया। वही, सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में चेतन्या आनंद ने बताया कि 26 अप्रैल को पानीपत के पुराना बस स्टैंड के नजदीक उसका बैग चोरी हो गया। उसके बैग में कंपनी से जुड़े जरूरी उपकरण के अलावा मोबाइल व 15 हजार रुपये थे।

इसके अलावा 56 हजार कीमत का मोबाइल फोन, 15 हजार रुपए कैश, कंपनी आई कार्ड आदि मौजूद थे। पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इयूटी मजिस्ट्रेट पर पांच हजार का घूस मांगने के आरोप झूठ निकला

हरिभूमि न्यूज. अंबाला

इयूटी मजिस्ट्रेट पर पांच हजार रुपये की घूस मांगने के आरोप लगाने वाली महिला जांच में शामिल नहीं हुई। इस पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार ने कड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी त। उन्होंने बताया कि लुधियाना से करनाल जाते समय महिला प्रिनिका कोहली ने ई-मेल के माध्यम से शिकायत दी थी कि कैथल रोड पर चुनाव के दृष्टिगत तैनात इयूटी मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी

जांच के दौरान झूठी पाई गई शिकायत, सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही

गाड़ी की चेंकिंग करते समय उसके पति के साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही 5 हजार की मांग करने के आरोप लगाए गए। उन्होंने इस मामले बारे जांच करते हुए शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से ही 29 अप्रैल को प्रातः 10 बजे कार्यालय में हाजिर होकर इयूटी मजिस्ट्रेट की शिनाख्त करने का कहा था। लेकिन महिला न तो जांच में हाजिर हुई।

उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में सभी इयूटी मजिस्ट्रेट / नाका मजिस्ट्रेट को बुलाया गया परंतु शिकायतकर्ता के न आने के कारण सभी अधिकारियों का समय खराब हुआ। इससे चुनाव कार्य में भी बाधा उत्पन्न हुई है। महिला द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सारे निराधार पाए गए। जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की झूठी तथ्यहीन शिकायत करता है तो उसके विरुद्ध चुनावी कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत कार्रवाई की जाएगी।

